बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना

पटना, दिनांक :– 22/9/19

सं० सं०–17/ए 3–01/2019 -57(17) /स्वा०, सीनियर रेजिडेंट/ट्यूटर तथा बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा भर्ती, नियुक्ति एवं प्रोन्नति नियमावली 2008 एवं (संशोधन) नियमावली 2013 के आलोक में सीनियर रेजिडेंट के टेन्योर पदों पर स्वास्थ्य सेवा संवर्ग एवं बाह्य चिकित्सकों को निम्नांकित शर्तों के अधीन राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों के **पी०एम०आर० विभाग** में निम्न प्रकार से नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है :–

पी०एम०आर० विभाग				
पी०जी०एस०				
क्र० स०	**नाम**	**आवेदन संख्या**	**आरक्षण कोटि**	**पदस्थापन**
01	मनोज कुमार सिंह	CR201800782	पिछड़ा वर्ग	पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना

2. यह नियुक्ति मात्र तीन वर्षों के लिए होगी।

3. संबंधित स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के चिकित्सकों को जो वेतन एवं भत्ता पूर्व से प्राप्त हो रहा है वही वेतन एवं अनुमान्य भत्ता टेन्योर पदों पर पदस्थापन अवधि में देय होगा। वेतन से की जा रही सामान्य कटौतियाँ नियमानुसार की जायेगी।

4. बाह्य चिकित्सकों को वेतनमान लेवेल–9 अन्य अनुमान्य भत्ते सहित देय होगा।

5. टेन्योर अवधि की समाप्ति के उपरांत वैसे पदधारक जो स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के चिकित्सक हैं, वे अपने पैतृक संवर्ग में स्वतः वापस हो जायेंगे। बाह्य चिकित्सक टेन्योर समाप्ति के पश्चात् उस टेन्योर पद अथवा किसी अन्य पद पर लगातार बने रहने का दावा नहीं कर सकेंगे।

6. सभी नवनियुक्त सीनियर रेजिडेंट को निदेशित किया जाता है कि वे अपने नव पदस्थापित स्थान पर **अधिकतम् 15 दिनों के अंदर** अनिवार्य रूप से योगदान कर कार्यभार ग्रहण कर लेंगे। योगदान के समय वांछित प्रमाण–पत्र यथा क्रीमीलेयर प्रमाण–पत्र/मूल शपथ–पत्र/मूल विभागीय अनापत्ति प्रमाण–पत्र अपने संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के प्राचार्य/अधीक्षक को समर्पित करेंगे अन्यथा उनका योगदान स्वीकार नहीं किया जायेगा।

7. योगदान के समय संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के प्राचार्य/अधीक्षक नवनियुक्त सीनियर रेजिडेंट द्वारा समर्पित वांछित प्रमाण–पत्र यथा क्रिमिलेयर प्रमाण–पत्र/शपथ–पत्र/अनापत्ति प्रमाण–पत्र को जाँच कर संतुष्ट हो लेंगे। आरक्षण का लाभ केवल बिहार के मूल निवासी को ही देय होगा। विसंगति पाये जाने पर पूर्ण विवरण सहित विभाग को सूचित करेंगे।

8. नये सीनियर रेजिडेन्ट के पदस्थापन के उपरान्त योगदान के पश्चात् संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के प्राचार्य/अधीक्षक सबसे पुराने पदस्थापित सीनियर रेजिडेन्ट को

आवश्यकतानुसार कार्य मुक्त कर देंगे। यदि किसी पुराने सीनियर रेजिडेन्ट के मामले में न्यायिक वाद चल रहा हो तो उस स्थिति में प्राचार्य/अधीक्षक द्वारा विभाग से परामर्श प्राप्त कर ही अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(कौशल किशोर)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– 17/ए 3–01/2019– 57/17/ **पटना, दिनांक** :– 22/01/19

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना–7 को सूचनार्थ एवं राजपत्र के प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (ले0एवंह0), बिहार, पटना/अवर सचिव, वित्त (वै०दा०नि०कोषांग) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, पटना प्रमंडल/मगध प्रमंडल/तिरहुत प्रमंडल/दरभंगा प्रमंडल/भागलपुर प्रमंडल/कोशी प्रमंडल/जिला पदाधिकारी, पटना/दरभंगा/गया/मुजफ्फरपुर/नालंदा/भागलपुर/पश्चिमी चंपारण/मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी संबंधित असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी/चिकित्सकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्राचार्य/अधीक्षक, सभी संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव, (कौशल किशोर)/प्रशाखा पदाधिकारी–प्रशाखा 01,02,08 एवं 09, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :–आई० टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।